न्यायालय नायबतहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
शिमला मीणा (आरटीएस)

मि.न.27 / 2020

दिनांक 30.7.2020

सरकार बनाम राजू

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भालोजी ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1079 / 0.39 है0 किस्म गै0मु0 नाला मेंसे 0.05 है0पर राजू पुत्र रामधन जाति कुम्हार निवासी दादुका ने बाजरा की फसल कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये । गैर सायल अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली पेश किया गैर सायल अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि गैर सायल ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है । अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है।पटवारी हल्का ने बिना मौके की जांच किये ही रिपोर्ट पेश की है। तथा भू–अभिलेख निरीक्षक की अध्यक्षता में गठित टीम व पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भिन्नता है। गैर सायल का नदी –नाले की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और सीमाज्ञान के पश्चात अतिक्रमण पाया जाता है तो गैर सायल अतिक्रमण हटाने को तत्पर है। ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सकें। भू–अभिलेख निरीक्षक व राजस्व टीम से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार उक्त खसरा नंबर पर पटवारी हल्का द्वारा की गई अतिक्रमण की रिपोर्ट यथावत पाई गई । हमने पटवरी रिर्पोट एवं पत्रावली में सग्लन दस्तावेजो पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि गैर सायलान द्धारा उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्ध होता हैं। , अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायल राजू पुत्र रामधन जाति कुम्हार निवासी दादूका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1079 / 0.39है0 किस्म

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

गै0मु0 नाला मे से 0.05है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई गई बाजरे की फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी .0.10रू. का पचास गुणा 5 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली,फसल निलामी के आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी. आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 30.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2020-21.0......... के रा० लै० 4
के पृष्ठ संख्या ..14... पर.....5...
इन्द्राज कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपुतली